EC will digitally link to death registration data for voter list updates

Abhishek Angad
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Election Commission of India will now obtain death registration data electronically from the Registrar General of India, an official statement said on Thursday, in a move aimed at ensuring error-free and faster updates of the voters' list.

This will ensure that the Electoral Registration Officers (EROs) receive timely information about registered deaths, the EC statement said. "It will also enable the BLOs to re-verify the information through field visits, without waiting for a formal request under Form 7," it said.

The poll body has the authority under the Registration of Electors Rules, 1960 and the Registration of Births and Deaths Act, 1969 to seek such details.

The announcement was among the three announcements made by the EC, which also decided to make voter information slips (VIS) more voter friendly by modifying its design.

The serial number and part number of the voter will now be displayed more prominently, with increased font size, making it easier for voters to identify their polling station and for polling officials to locate their names in the electoral roll efficiently.

THE POLL BODY HAS AUTHORITY TO SEEK SUCH DETAILS UNDER TWO LAWS, AND WAS AMONG THREE SEPARATE ANNOUNCEMENTS

The commission has also directed that all BLOs, who are appointed by the EROs, be issued standard photo identity cards to ensure that citizens can recognise and interact confidently with them during voter verification and registration drives.

As the first interface between the voters and the EC in performing election-related duties, it is important that BLOs are easily identifiable to the public while conducting house-to-house visits.

The announcements have come weeks after the EC said that the regular updating process of the voter list would be strengthened in close coordination with the birth and death registration authorities as a controversy broke out over duplication of voter IDs.

Technical consultations between the UIDAI and experts of the EC will begin soon on voter list-Aadhaar linkage, it had said.

EC to soon get death registration data from states, UTs electronically

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 1

THE ELECTION Commission will soon start receiving data of the registration of deaths electronically from states and UTs, which would strengthen the process of updating the electoral rolls, sources said.

Acting as per the 2023 amendment of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, which enabled the use of the registration data for preparation of voters list, the EC has started the process of connecting its systems with the Registrar General of India's data. Most states are a part of the portal.

"The Commission will now obtain death registration data electronically from the Registrar General of India in line with Rule 9 of the Registration of Electors Rules, 1960 and Section 3(5)(b) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (as amended in 2023). This will ensure that the Electoral Registration Officers

The data would act as another source of information

(EROs) receive timely information about registered deaths. This will also enable Booth Level Officers (BLOs) to re-verify the information through field visits, without waiting for a formal request under Form 7," an EC statement said on Thursday.

According to sources, the data would act as another source of information, which would mean that the process could start without the deceased elector's family filling the Form 7.

After receiving the data electronically, the BLOs would be able to visit the family of a deceased elector and have the Form 7 filled. Deletions would only be done based on the Form 7, which is the EC's form for deletion of an elector from the rolls, they said.

epaper.indianexpress.com

चुनाव आयोग: वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का कदम

रजिस्ट्रार से डेटा लेकर हटाएंगे मृत वोटरों के नाम

नई दिल्ली @ पत्रिका. वोटर लिस्ट से मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) अब रजिस्ट्रार जनरल से सीधे इलेक्ट्रोनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण का डेटा लेगा। बाद में मतदाताओं के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से इसका सत्यापन किया जाएगा। ईसी ने वोटर लिस्ट की सटीकता में सुधार लाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है जो मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और 2023 में संशोधन के बाद जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3 (5) (बी) के अनुरूप है। डेटा के इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से मतदाता पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिल सकेगी। यह जानकारी मिलने के बाद बीएलओ फॉर्म 7 (मृत वोटर का नाम हटाने के लिए आवेदन) की औपचारिकता के बिना ही फील्ड विजिट के दौरान इस जानकारी को सत्यापित कर सकेंगे। पिछले मार्च में ईसी की ओर से बुलाए गए देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में इस उपाय के बारे में चर्चा हुई थी।

बीएलओ को मिलेगा आइडी कार्ड: ईसी ने बीएलओ को भी फोटो सहित पहचान पत्र जारी करने का भी फैसला किया है। फोटो पहचान पत्र से आम नागरिक को बीएलओ को पहचानने और भरोसे के साथ सत्यापन व पंजीकरण में मदद मिलेगी।

बड़े अक्षरों में जानकारी: ईसी घर-घर पहुंचाई जाने वाली मतदाता सूचना पर्चियों (वीआइएस) को फिर से डिजाइन करेगा। इसमें मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब बड़े फॉन्ट में दिखाई देगी ताकि वोटर और मतदान दल को वोटर लिस्ट में नाम खोजने में आसानी हो।

दैनिक नवज्योति
jaipur city - 02 May 2025 - Page 3

मतदाता सूचियों की समीक्षा, मृत्यु पंजीकरण के इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का किया जाएगा प्रयोग

एजेंसी/नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को अद्यतन और सटीक करने तथा नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सूचियों की समीक्षा में मृत्यु पंजीकरण के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रयोग, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को मानक फोटो आईकार्ड देने, मतदाता पर्चियों को अधिक अनुकूल बनाने की तीन नई पहल की गुरुवार को घोषणा की। आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले।

इससे बीएलओ भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकेंगे। आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन को संशोधित करने का भी फैसला किया है। मतदाता की सीरियल नंबर और पार्ट नंबर अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग के तीन नवाचार

मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करना बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र देना मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना

ढोलामारू न्यूज

नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहलें शुरू की हैं। ये नवाचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (इश्वहह्य) के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित विचारों के अनुरूप हैं, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

अब आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा, जो कि निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(5) (b) (2023 में संशोधित) के तहत किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) समय पर पंजीकृत मृत्यु की सूचना प्राप्त कर सकें। इससे फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना बीएलओ (Booth Level Officer) क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से जानकारी को पुनः सत्यापित कर सकेंगे, मतदाता सूचना पर्चियों (Voter Information Slips) को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिज़ाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्टता और बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में नाम खोजना आसान होगा।

दैनिक भास्कर
डूंगरपुर भास्कर 02-05-2025

मतदाता सूची को सटीक बनाने और मतदान प्रक्रिया को आसान करने के लिए नई पहल

डूंगरपुर| भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को सटीक बनाने और मतदान प्रक्रिया को आसान करने के लिए नई पहल की है। आयोग अब भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। यह डेटा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत मिलेगा। इससे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को समय पर जानकारी मिलेगी। बूथ लेवल अधिकारी बिना फॉर्म 7 के इंतजार के फील्ड विजिट कर जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे। आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची को भी और उपयोगी बनाने का फैसला किया है। अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को बड़े फोंट में प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इससे मतदाताओं को अपना मतदान केंद्र पहचानना आसान होगा। मतदान अधिकारी भी नामावली में नाम जल्दी ढूंढ सकेंगे। बीएलओ को अब मानक फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे। मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान में नागरिक बीएलओ को पहचान सकेंगे। बीएलओ घर घर जाकर काम करते हैं। ऐसे में उनकी पहचान जरूरी है। वे आयोग और मतदाता के बीच पहला संपर्क होते हैं। इन पहलों की रूपरेखा मार्च में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में बनी थी। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ विवेक जोशी मौजूद रहे।

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीएम में निवार्चन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्र मैं तत्परता को सुद्दढ़ कर रहा है

आत्मा की ज्वाला डूंगरपुर।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधान सभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं।

अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन अपलोड) निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 200 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था। यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र-स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समय को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियो को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत डीएम जिला कलेक्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और दवितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा।

यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एमएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी। इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र (पदजमतंबजपअम `मेपवद), घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभाने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6क, 7 और 8 को भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और बीएलओ ऐप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों (तमेवनतबम चमतेवदे) द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र-स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

निर्वाचन आयोग के तीन नवाचार

मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करना

बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र देना

मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना

मरू लहर न्यूज

जालोर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहलें शुरू की हैं।

ये नवाचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित विचारों के अनुरूप हैं, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

अब आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा, जो कि निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(5)(इ) (2023 में संशोधित) के तहत किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) समय पर पंजीकृत मृत्यु की सूचना प्राप्त कर सकें। इससे फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से जानकारी को पुन: सत्यापित कर सकेंगे, ।

मतदाता सूचना पर्चियों (वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप) को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिज़ाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया है।

अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्टता और बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में नाम खोजना आसान होगा।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ, जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ठ(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हें मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएं, ताकि वे मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियानों के दौरान आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें।

बीएलओ चुनाव संबंधित कार्यों में मतदाता और निर्वाचन आयोग के बीच अहम संपर्क कड़ी होते हैं, इसलिए उनके लिए यह आवश्यक है कि वे घर-घर सर्वेक्षण के दौरान जनता के लिए आसानी से पहचाने जा सकें।

हाड़ौती संचार हिन्दी दैनिक

निर्वाचन आयोग के तीन नवाचार मतदाता सूची अद्यतन और मतदान प्रक्रिया होगी और सुगम

बून्दी, 01 मई (हाड़ौती संचार ब्यूरों)।

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नामावलियों की सटीकता में सुधार लाने और नागरिकों के लिए मतदान की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में प्रस्तावित विचारों के अनुरूप इन नवाचारों को लाया गया है, जिसमें निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करना

आयोग अब भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। यह प्रक्रिया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(5)(ख) (2023 में संशोधित) के तहत कार्यान्वित की जाएगी। इस कदम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों की सूचना समय पर मिल सकेगी। इसके परिणामस्वरूप, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से जानकारी की पुन: पुष्टि कर सकेंगे, जिससे मतदाता सूची का तेजी से और अधिक सटीकता से अद्यतन किया जा सकेगा।

अधिक मतदाता अनुकूल मतदाता सूचना पर्चियां

मतदाता सूचना पर्चियों (वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स) को मतदाताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब मतदाता पर्चियों पर मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्टता और बड़े आकार के फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। इससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की पहचान करने और मतदान अधिकारियों को मतदाता सूची में उनका नाम ढूंढने में आसानी होगी।

बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र

आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ, जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ख(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हें मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएं ताकि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियानों के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आश्वस्त होकर बातचीत कर सकें।

बीएलओ चुनाव संबंधी कार्यों में मतदाता और निर्वाचन आयोग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, और घर-घर सर्वेक्षण के दौरान जनता के लिए उनकी आसान पहचान आवश्यक है। इन तीनों नवाचारों का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त बनाना और मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना है, जिससे अधिक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकें।

निर्वाचन आयोग के तीन नवाचार

मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करना

मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना

बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र देना

रानीवाडा से प्रवीण राठौड की रिपोर्ट।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहलें शुरू की हैं। ये नवाचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित विचारों के अनुरूप हैं, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे। अब आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा, जो कि निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(5)(इ) (2023 में संशोधित) के तहत किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) समय पर पंजीकृत मृत्यु की सूचना प्राप्त कर सकें। इससे फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से जानकारी को पुनः सत्यापित कर सकेंगे, । मतदाता सूचना पर्चियों (वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप) को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिज़ाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्टता और बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में नाम खोजना आसान होगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ, जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ठ(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हें मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएं, ताकि वे मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियानों के दौरान आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें। बीएलओ चुनाव संबंधित कार्यों में मतदाता और निर्वाचन आयोग के बीच अहम संपर्क कड़ी होते हैं, इसलिए उनके लिए यह आवश्यक है कि वे घर-घर सर्वेक्षण के दौरान जनता के लिए आसानी से पहचाने जा सकें।

निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और आसान करने के लिए तीन नई पहल शुरू की

भास्कर संवाददाता | टोंक

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को सटीक बनाने और मतदान प्रक्रिया को आसान करने के लिए तीन नई पहले शुरू की हैं। ये फैसले मार्च में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में लिए गए सुझावों पर आधारित हैं।

बैठक में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे। जिला निर्वाचन विभाग ने इस संबंध में बताया कि अब आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा।

यह प्रक्रिया निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 3(5)(बी) (2023 में संशोधित) के तहत की जाएगी। इससे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को समय पर मृत्यु की जानकारी मिल सकेगी। बीएलओ बिना फॉर्म 7 के इंतजार के क्षेत्रीय दौरे में जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे। दूसरा बदलाव मतदाता सूचना पर्चियों के डिजाइन में किया गया है। अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या बड़े फॉन्ट में और स्पष्ट रूप से छपी होगी। इससे मतदाताओं को अपना मतदान केंद्र पहचानने में आसानी होगी। मतदान अधिकारियों को भी सूची में नाम ढूंढने में सुविधा होगी। तीसरी पहल के तहत सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे। ये बीएलओ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ठ (2) के तहत नियुक्त किए गए हैं। पहचान पत्र मिलने से वे मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान में आत्मविश्वास से काम कर सकेंगे। बीएलओ मतदाता और आयोग के बीच अहम कड़ी होते हैं। इसलिए घर-घर सर्वे के दौरान उनकी पहचान आसान हो सकेगी।

डिजाइन में भी आएगा नयापन: मतदाता सूची पंजीकरण में हो सकेगा सटीक बदलाव

रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेगा आयोग

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

टोंक. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहले शुरू की हैं। ये नवाचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित विचारों के अनुरूप हैं।

अब आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। जो कि निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(5)(बी) (2023 में संशोधित) के तहत किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समय पर पंजीकृत मृत्यु की सूचना प्राप्त कर सके।

टोंक. निर्वाचन आयोग के अधिकारी। फाइल फोटो

इससे फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना बीएलओ क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से जानकारी को पुनः सत्यापित कर सकेंगे। मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिजाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया है।

अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्टता और बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में नाम खोजना आसान होगा।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ, जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है। उन्हें मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएं ताकि वे मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियानों के दौरान आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें। बीएलओ चुनाव संबंधित कार्यों में मतदाता और निर्वाचन आयोग के बीच अहम संपर्क कड़ी होते हैं इसलिए उनके लिए यह आवश्यक है कि वे घर-घर सर्वेक्षण के दौरान जनता के लिए आसानी से पहचाने जा सकें।

फैसला

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता बढ़ाने के लिए किए तीन बड़े सुधार...बीएलओ को जारी होगी फोटो आईडी

मृत्यु प्रमाण से अपडेट होगी वोटर लिस्ट, सूचना पर्ची भी बदलेगी

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। मतदाता सूचियों की और अधिक शुचिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने तीन अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत मतदाता सूची को तेजी से और सटीक रूप से अपडेट करने के लिए भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण आंकड़ा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हासिल करेगा। इसके अलावा मतदाता सूची पर्ची के डिजाइन में संशोधन किया जाएगा और सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ये फैसले इस साल मार्च में मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई पहलों के अनुरूप हैं। चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयोग अब मतदाता सूची की और शुचिता बढ़ाने के लिए भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण आंकड़ा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुटाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौत के आंकड़ों के बारे में सही समय पर जानकारी मिलेगी और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को मृतक के परिजनों के औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना क्षेत्र का दौरा कर जानकारी का पुनः सत्यापन करने की अनुमति होगी। आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है।

ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त

मतदाता सूचना पर्ची का डिजाइन बदला जाएगा

दूसरे फैसले के तहत, मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक मतदान अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है। मतदाता की क्रम संख्या और अन्य विवरण अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे तथा अक्षरों का आकार भी बढ़ा दिया जाएगा। इससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को आसानी से खोजा जा सकेगा।

बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी होंगे

तीसरे फैसले के अनुसा, आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि ईआरओ की ओर से नियुक्त सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक उन्हें पहचान सकें और विश्वास के साथ उनसे बातचीत कर सकें। आयोग के इन फैसलों का उद्देश्य पारदर्शिता, प्रभावशीलता और मतदाता अनुभव को बेहतर बनाना है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी और भी मजबूत हो सके।

भारत निर्वाचन आयोग की तीन नई पहलें

» निर्वाचक नामावलियों को अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाएगा

» बीएलओ को मानक फोटो पहचान-पत्र दिया जाएगा

» मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक निर्वाचक-अनुकूल बनाया जाएगा

नई दिल्ली।

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों की सटीकता में सुधार लाने तथा नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहलें की हैं। ये उपाय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में इसी वर्ष मार्च में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं।

आयोग अब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में यथा-संशोधित) की धारा 3(5) (ख) के अनुरूप भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिनाए फील्ड विजिट के माध्यम से जानकारी को फिर से सत्यापित करने में सक्षम होंगे।

मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी सुधार करने का फैसला किया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी, साथ ही फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए निर्वाचक नामावली में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा। आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ख (2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आश्वस्त होकर बातचीत कर सकें। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और आयोग के बीच प्रथम प्रतिनिधि के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर काम करने के दौरान बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके।

निर्वाचन आयोग के तीन नवाचार मतदाता सूची अद्यतन और मतदान प्रक्रिया होगी और सुगम

बून्दी, 01 मई (हाड़ौती संचार ब्यूरों)।

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नामावलियों की सटीकता में सुधार लाने और नागरिकों के लिए मतदान की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में प्रस्तावित विचारों के अनुरूप इन नवाचारों को लाया गया है, जिसमें निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करना

आयोग अब भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। यह प्रक्रिया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(5)(ख) (2023 में संशोधित) के तहत कार्यान्वित की जाएगी। इस कदम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों की सूचना समय पर मिल सकेगी। इसके परिणामस्वरूप, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से जानकारी की पुन: पुष्टि कर सकेंगे, जिससे मतदाता सूची का तेजी से और अधिक सटीकता से अद्यतन किया जा सकेगा।

अधिक मतदाता अनुकूल मतदाता सूचना पर्चियां

मतदाता सूचना पर्चियों (वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स) को मतदाताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब मतदाता पर्चियों पर मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्टता और बड़े आकार के फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। इससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की पहचान करने और मतदान अधिकारियों को मतदाता सूची में उनका नाम ढूंढने में आसानी होगी।

बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र

आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ, जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ख(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हें मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएं ताकि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियानों के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आश्वस्त होकर बातचीत कर सकें।

बीएलओ चुनाव संबंधी कार्यों में मतदाता और निर्वाचन आयोग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, और घर-घर सर्वेक्षण के दौरान जनता के लिए उनकी आसान पहचान आवश्यक है। इन तीनों नवाचारों का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त बनाना और मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना है, जिससे अधिक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकें।

दैनिक भास्कर
बारां 02-05-2025

मतदाता सूची को सटीक व मतदान प्रक्रिया को आसान करने के लिए की तीन नई पहल

भास्कर न्यूज | बारां

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को सटीक बनाने और मतदान प्रक्रिया को आसान करने के लिए तीन नई पहल की है। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि यह नवाचार मार्च में सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में दिल्ली में तय किए थे। बैठक में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग उप निदेशक पी. पवन ने बताया कि पहली पहल के तहत अब आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। यह प्रक्रिया निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 3(5)(इ)

(2023 में संशोधित) के तहत होगी। इससे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को समय पर मृत्यु की जानकारी मिल सकेगी। बीएलओ बिना फॉर्म 7 के इंतजार के क्षेत्रीय दौरे में जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे। दूसरी पहल में मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया जाएगा। अब पर्चियों में मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या बड़े और स्पष्ट फॉंट में छापी जाएगी। इससे मतदाताओं को अपना मतदान केंद्र पहचानने और अधिकारियों को सूची में नाम ढूंढने में आसानी होगी। तीसरी पहल के तहत सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे। ये बीएलओ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ठ(2) के तहत नियुक्त होते हैं। पहचान पत्र मिलने से वे मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियानों में आत्मविश्वास से काम कर सकेंगे। बीएलओ मतदाता और आयोग के बीच अहम कड़ी होते हैं। इसलिए घर-घर सर्वेक्षण में उनकी पहचान आसान होनी जरूरी है।

चुनाव आयोग: वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का कदम

रजिस्ट्रार से डेटा लेकर हटाएंगे मृत वोटरों के नाम

नई दिल्ली @ पत्रिका. वोटर लिस्ट से मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) अब रजिस्ट्रार जनरल से सीधे इलेक्ट्रोनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण का डेटा लेगा। बाद में मतदाताओं के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से इसका सत्यापन किया जाएगा। ईसी ने वोटर लिस्ट की सटीकता में सुधार लाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है जो मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और 2023 में संशोधन के बाद जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3 (5) (बी) के अनुरूप है। डेटा के इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से मतदाता पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिल सकेगी। यह जानकारी मिलने के बाद बीएलओ फॉर्म 7 (मृत वोटर का नाम हटाने के लिए आवेदन) की औपचारिकता के बिना ही फील्ड विजिट के दौरान इस जानकारी को सत्यापित कर सकेंगे। पिछले मार्च में ईसी की ओर से बुलाए गए देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में इस उपाय के बारे में चर्चा हुई थी।

बीएलओ को मिलेगा आइडी कार्ड: ईसी ने बीएलओ को भी फोटो सहित पहचान पत्र जारी करने का भी फैसला किया है। फोटो पहचान पत्र से आम नागरिक को बीएलओ को पहचानने और भरोसे के साथ सत्यापन व पंजीकरण में मदद मिलेगी।

बड़े अक्षरों में जानकारी: ईसी घर-घर पहुंचाई जाने वाली मतदाता सूचना पर्चियों (वीआइएस) को फिर से डिजाइन करेगा। इसमें मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब बड़े फॉन्ट में दिखाई देगी ताकि वोटर और मतदान दल को वोटर लिस्ट में नाम खोजने में आसानी हो।

Scanned with OKEN Scanner

मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक निर्वाचक-अनुकूल बनाया जाएगा

न्यूज सर्विस/ नवज्योति, सवाई माधोपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों की सटीकता में सुधार लाने तथा नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहलें की हैं। ये उपाय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में इसी वर्ष मार्च में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं। आयोग अब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में

यथा-संशोधित) की धारा 3(5) (ख) के अनुरूप भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना, फील्ड विजिट के माध्यम से जानकारी को फिर से सत्यापित करने में सक्षम होंगे। मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी सुधार करने का फैसला किया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी, साथ ही फॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए निर्वाचक नामावली में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा। आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ख (2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आश्वस्त होकर बातचीत कर सकें।

भारत निर्वाचन आयोग की तीन नई पहलें : निर्वाचक नामावलियों को अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाएगा

बीएलओ को मानक फोटो पहचान-पत्र दिया जाएगा, मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक निर्वाचक-अनुकूल बनाया जाएगा

पहाड़ों की नगरी

सवाई माधोपुर 1 मई। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों की सटीकता में सुधार लाने तथा नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहलें की हैं। ये उपाय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में इसी वर्ष मार्च में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं।आयोग अब निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में यथा-संशोधित) की धारा 3(5) (ख) के अनुरूप भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना, फील्ड विजिट के माध्यम से जानकारी को फिर से सत्यापित करने में सक्षम होंगे। मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी सुधार करने का फैसला किया है।

मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी, साथ ही फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए निर्वाचक नामावली में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा।आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ख (2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आश्वस्त होकर बातचीत कर सकें। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और आयोग के बीच प्रथम प्रतिनिधि (interface) के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर काम करने के दौरान बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके।

भारत निर्वाचन आयोग की तीन नई पहलें

निर्वाचक नामावलियों को अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाएगा

बीएलओ को मानक फोटो पहचान-पत्र दिया जाएगा, मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक निर्वाचक-अनुकूल बनाया जाएगा

सवाई माधोपुर,1 मई (का.स.)भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों की सटीकता में सुधार लाने तथा नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहलें की हैं। ये उपाय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में इसी वर्ष मार्च में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं।

आयोग अब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में यथा-संशोधित) की धारा 3(5) (ख) के अनुरूप भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना, फील्ड विजिट के माध्यम से जानकारी को फिर से सत्यापित करने में सक्षम होंगे।

मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी सुधार करने का फैसला किया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी, साथ ही फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए निर्वाचक नामावली में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा। आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ख (2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आश्वस्त होकर बातचीत कर सकें। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और आयोग के बीच प्रथम प्रतिनिधि (interface) के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर काम करने के दौरान बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके।

निर्वाचन आयोग के तीन नवाचार

मृत्यु पंजीयन के इलेक्ट्रोनिक डेटा से अद्यतन होंगी मतदाता सूचियां

बीएलओ को मिलेंगे मानक फोटो पहचान पत्र
मतदाता सूचना पर्चियां बनेंगी अधिक मतदाता अनुकूल

जयपुर (कासं)। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहलें शुरू की हैं। यह नवाचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित विचारों के अनुरूप हैं, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे। अब आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा, जो कि निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(5)(बी) (2023 में संशोधित) के तहत किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) समय पर पंजीकृत मृत्यु की सूचना प्राप्त कर सकें। इससे फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना बीएलओ क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से जानकारी को पुनः सत्यापित कर सकेंगे।

मतदाता सूचना पर्चियों को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिज़ाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्टता और बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में नाम खोजना आसान होगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ, जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हें मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएं, ताकि वे मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियानों के दौरान आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें। बीएलओ चुनाव संबंधित कार्यों में मतदाता और निर्वाचन आयोग के बीच अहम संपर्क कड़ी होते हैं, इसलिए उनके लिए यह आवश्यक है कि वे घर-घर सर्वेक्षण के दौरान जनता के लिए आसानी से पहचाने जा सकें।

दैनिक नवज्योति

निर्वाचन आयोग की नई पहल: मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रुप से प्राप्त करेगा

बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र देने के साथ ही मतदाता सूचना पर्चियों को मतदाता के अनुकूल बनाया जाएगा

नवज्योति/नई दिल्ली/जोधपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहलें शुरू की हैं। ये नवाचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित विचारों के अनुरूप हैं जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

अब आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा जो कि निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधित के तहत किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समय पर पंजीकृत मृत्यु की सूचना प्राप्त कर सकें। इससे फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना बीएलओ क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से जानकारी को पुनः सत्यापित कर सकेंगे।

मतदाता सूचना पर्चियों और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिजाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्टता और बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाएगा जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में नाम खोजना आसान होगा।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा के तहत नियुक्त किया गया है उन्हें मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएं ताकि वे मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियानों के दौरान आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें।

बीएलओ चुनाव संबंधित कार्यों में मतदाता और निर्वाचन आयोग के बीच अहम संपर्क कड़ी होते हैं इसलिए उनके लिए यह आवश्यक है कि वे घर-घर सर्वेक्षण के दौरान जनता के लिए आसानी से पहचाने जा सकें।

दैनिक नवज्योति

मतदाता सूचियों की समीक्षा, मृत्यु पंजीकरण के इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का किया जाएगा प्रयोग

एजेंसी/नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को अद्यतन और सटीक करने तथा नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सूचियों की समीक्षा में मृत्यु पंजीकरण के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रयोग, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को मानक फोटो आईकार्ड देने, मतदाता पर्चियों को अधिक अनुकूल बनाने की तीन नई पहल की गुरुवार को घोषणा की। आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले।

इससे बीएलओ भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकेंगे। आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन को संशोधित करने का भी फैसला किया है। मतदाता की सीरियल नंबर और पार्ट नंबर अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

RNI No.: RAJHIN/2015/62916
दैनिक प्रातः कालीन

सच्ची रिपोर्ट

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड से प्रसारित

वर्षः 10 अंकः 208 जोधपुर , शुक्रवार 02 मई , 2025 मूल्यः 3 रुपए पृष्ठ संख्याः 8

चुनाव आयोग कर रहा बड़ा परिवर्तन
मतदान करना होगा आसान

वोटर स्लिप पर बड़े अक्षरों में लिखे होंगे सीरियल और पार्ट नंबर

अब वोटर स्लिप आएगी तो पहले से कुछ अलग होगी। कोने में बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर उपलब्ध होगा। इससे लोगों को किसी प्रकार का भ्रम नही रहेगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया कि स्लिप पहले से कुछ अलग होगी। बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर उपलब्ध होगा।

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

मतदाता अक्सर वोटिंग के दिन अपने घर के पास बूथ की जानकारी प्राप्त करने में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर बूथ के अंदर वोटिंग वाले कमरे के नंबर की जानकारी नहीं मिल पाती है। अब चुनाव से पहले आपके घर पर वोटर स्लिप आएगी तो पहले से कुछ अलग होगी। कोने में बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर उपलब्ध होगा। इससे लोगों को किसी प्रकार का भ्रम नही रहेगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है।

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की कवायद

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को और ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए तीन नई पहलें शुरू की हैं, जिसका मकसद है कि मतदान की प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान और भरोसेमंद बनाया जा सके।

मतदानों की सहूलियत और संदेह को दूर करने ईसी ने लिया यह फैसला

अब मृत्यु के बाद आसानी से हटेगा वोटर का नाम

अब सीधे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर मर चुके मतदाता के नाम को हटाने की ईसीआई प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा वोटर कंफर्मेशन स्लिप को वोटर्स फ्रेंडली बनाने और बीएलओ को पहली बार फोटो आइडेंटिटी कार्ड देने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है कि सीधे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डेथ सर्टिफिकेट डेटा लिया जाएगा ताकि किसी मतदाता की मौत से जुड़ी जानकारी जल्दी चुनाव आयोग को मिले। मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर मतदाता की मृत्यु को फील्ड विजिट कर बीएलओ की तरफ से वैरिफाई किया जाएगा और इसके बाद मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा।

प्रमाणीकरण में नहीं होगी देरी

अब सीधे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जानकारी मिलने से चुनाव चुनाव आयोग मृतक वोटर के नाम को मतदाता सूची से डिलीट करने की प्रक्रिया फॉर्म 7 मिलने से पहले शुरू कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतदाता सूचना स्लिप को ज्यादा वोटर फ्रेंडली बनाने का फैसला किया है। आयोग ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को पहली बार फोटो आइडेंटिटी कार्ड देने का फैसला किया ताकि पहचान और संपर्क आसान हों।

बीएलओ को मिलेंगे पहचान पत्र

तीसरे ऐलान के तहत अब हर बीएलओ को एक मानक फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा ताकि जब वे घर-घर जाकर मतदाताओं से मिलें तो लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। साथ ही भरोसे से बात कर सकें। हालांकि मामले में चुनाव आयोग का कहना है कि ये सभी कदम विश्वास, पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास हैं।

पोस्ट रजि. नम्बर: जोधपुर/507/2024-26

RNI REG. NO. : RAJHIN/2022/86076

दैनिक हमेशा सच के साथ...

सच मीडिया

वर्ष 03 › अंक 131 दैनिक हिन्दी प्रातः कालीन | जोधपुर , शुक्रवार 02 मई 2025 | EMail: sachmedia0001@gmail.com | मूल्य: 2 रूपये › पृष्ठ : 08

आवश्यकता

समाचार, लेख, सूचना, आलेख, कविता, विज्ञापन व जिलेवार एजेंसी के लिये सम्पर्क करें-
सुमेर सिंह चुण्डावत
संपादक
मो. 7737275324

चुनाव आयोग कर रहा बड़ा परिवर्तन
मतदान करना होगा आसान

वोटर स्लिप पर बड़े अक्षरों में लिखे होंगे सीरियल और पार्ट नंबर

अब वोटर स्लिप आएगी तो पहले से कुछ अलग होगी। कोने मे बड़े अक्षरों मे सीरियल नंबर और पार्ट नंबर उपलब्ध होगा। इससे लोगों को किसी प्रकार का भ्रम नही रहेगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया कि स्लिप पहले से कुछ अलग होगी। बड़े अक्षरों मे सीरियल नंबर और पार्ट नंबर उपलब्ध होगा।

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

मतदाता अक्सर वोटिंग के दिन अपने घर के पास बूथ की जानकारी प्राप्त करने में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर बूथ के अंदर वोटिंग वाले कमरे के नंबर की जानकारी नहीं मिल पाती है। अब चुनाव से पहले आपके घर पर वोटर स्लिप आएगी तो पहले से कुछ अलग होगी। कोने में बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर उपलब्ध होगा। इससे लोगों को किसी प्रकार का भ्रम नही रहेगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है।

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की कवायद

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को और ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए तीन नई पहलें शुरू की हैं, जिसका मकसद है कि मतदान की प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान और भरोसेमंद बनाया जा सके।

मतदाताओं की सहूलियत और संदेह को दूर करने ईसी ने लिया यह फैसला

अब मृत्यु के बाद आसानी से हटेगा वोटर का नाम

अब सीधे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर मर चुके मतदाता के नाम को हटाने की ईसीआई प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा वोटर कंफर्मेशन स्लिप को वोटर्स फ्रेंडली बनाने और बीएलओ को पहली बार फोटो आइडेंटिटी कार्ड देने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है कि सीधे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डेथ सर्टिफिकेट डेटा लिया जाएगा ताकि किसी मतदाता की मौत से जुड़ी जानकारी जल्दी चुनाव आयोग को मिले। मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर मतदाता की मृत्यु को फील्ड विजिट कर बीएलओ की तरफ से वैरिफाई किया जाएगा और इसके बाद मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा।

प्रमाणीकरण में नहीं होगी देरी

अब सीधे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जानकारी मिलने से चुनाव चुनाव आयोग मृतक वोटर के नाम को मतदाता सूची से डिलीट करने की प्रकिया फॉर्म 7 मिलने से पहले शुरू कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतदाता सूचना स्लिप को ज्यादा वोटर फ्रेंडली बनाने का फैसला किया है। आयोग ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को पहली बार फोटो आइडेंटिटी कार्ड देने का फैसला किया ताकि पहचान और संपर्क आसान हों।

बीएलओ को मिलेंगे पहचान पत्र

तीसरे ऐलान के तहत अब हर बीएलओ को एक मानक फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा ताकि जब वे घर-घर जाकर मतदाताओं से मिले तो लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। साथ ही भरोसे से बात कर सकें। हालांकि मामले में चुनाव आयोग का कहना है कि ये सभी कदम विश्वास, पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास हैं।

जागरूक टाइम्स
मुंबई | शुक्रवार, 2 मई 2025

चुनाव आयोग की कवायद

मतदाता सूची को सटीक बनाने की तैयारी

नई दिल्ली। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को और ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए तीन नई पहलें शुरू की हैं, जिसका मकसद है कि मतदान की प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान और भरोसेमंद बनाया जा सके। बता दें कि ये फैसले मार्च 2025 में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में लिए गए, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डा. सुखबीर सिंह संधू व डा. विवेक जोशी मौजूद थे।

तीन नए एलान

चुनाव आयोग की ओर से किए गए तीन अहम एलान में सबसे पहली घोषणा मृत्यु पंजीकरण का डेटा से संबंधित मामले में किया गया है। इसके तहत अब चुनाव आयोग को पंजीयक जनरल ऑफ इंडिया से मृत लोगों का रिकॉर्ड सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मृतकों के नाम समय पर मतदाता सूची से हटाए जाएं। इसके बाद बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) फील्ड में जाकर जानकारी की दोबारा जांच कर सकेंगे, बिना किसी औपचारिक शिकायत के।

वोटर स्लिप और आसान

बात अगर दूसरे एलान की करें तो अब मतदाता स्लिप को और मतदाता के अनुकूल बनाया जाएगा। वोटर की सीरियल नंबर और पार्ट नंबर अब बड़े फॉन्ट में दिखेगा।

बीएलओ को पहचान पत्र

तीसरे एलान के तहत अब हर बीएलओ को एक मानक फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा ताकि जब वे घर-घर जाकर मतदाताओं से मिलें तो लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। साथ ही भरोसे से बात कर सकें। हालांकि मामले में चुनाव आयोग का कहना है कि ये सभी कदम विश्वास, पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास हैं।

Title Code :- RAJHIN27855

दैनिक द डेस्प्रिंग

TDN THE DAYSPRING NEWS

@tdnnewsindia
@tdn_thedayspringnews
@the Dayspring news
@thedayspring
@tdnnewsindia

वर्ष: 4 अंक:99 मूल्य: 3 रू पेज: 8 जयपुर, शुक्रवार/ 2 मई /2025 जयपुर से प्रकाशित (सीकर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर , सिरोही से प्रसारित)

चुनाव आयोग कर रहा बड़ा परिवर्तन
मतदान करना होगा आसान

वोटर स्लिप पर बड़े अक्षरों में लिखे होंगे सीरियल और पार्ट नंबर

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

मतदाता अक्सर वोटिंग के दिन अपने घर के पास बूथ की जानकारी प्राप्त करने में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर बूथ के अंदर वोटिंग वाले कमरे के नंबर की जानकारी नहीं मिल पाती है। अब चुनाव से पहले आपके घर पर वोटर स्लिप आएगी तो पहले से कुछ अलग होगी। कोने में बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर उपलब्ध होगा। इससे लोगों को किसी प्रकार का भ्रम नही रहेगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है।

अब वोटर स्लिप आएगी तो पहले से कुछ अलग होगी। कोने में बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर उपलब्ध होगा। इससे लोगों को किसी प्रकार का भ्रम नही रहेगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्णय लिया कि स्लिप पहले से कुछ अलग होगी। बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर उपलब्ध होगा।

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की कवायद

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को और ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए तीन नई पहलें शुरू की हैं, जिसका मकसद है कि मतदान की प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान और भरोसेमंद बनाया जा सके।

मतदाताओं की सहूलियत और संदेह को दूर करने ईसी ने लिया यह फैसला

अब मृत्यु के बाद आसानी से हटेगा वोटर का नाम

अब सीधे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर मर चुके मतदाता के नाम को हटाने की ईसीआई प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा वोटर कंफर्मेशन स्लिप को वोटर्स फ्रेंडली बनाने और बीएलओ को पहली बार फोटो आइडेंटिटी कार्ड देने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है कि सीधे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डेथ सर्टिफिकेट डेटा लिया जाएगा ताकि किसी मतदाता की मौत से जुड़ी जानकारी जल्दी चुनाव आयोग को मिले। मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर मतदाता की मृत्यु को फील्ड विजिट कर बीएलओ की तरफ से वैरिफाई किया जाएगा और इसके बाद मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा।

प्रमाणीकरण में नहीं होगी देरी

अब सीधे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जानकारी मिलने से चुनाव चुनाव आयोग मृतक वोटर के नाम को मतदाता सूची से डिलीट करने की प्रकिया फॉर्म 7 मिलने से पहले शुरू कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतदाता सूचना स्लिप को ज्यादा वोटर फ्रेंडली बनाने का फैसला किया है। आयोग ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को पहली बार फोटो आइडेंटिटी कार्ड देने का फैसला किया ताकि पहचान और संपर्क आसान हों।

बीएलओ को मिलेंगे पहचान पत्र

तीसरे ऐलान के तहत अब हर बीएलओ को एक मानक फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा ताकि जब वे घर-घर जाकर मतदाताओं से मिलें तो लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। साथ ही भरोसे से बात कर सकें। हालांकि मामले में चुनाव आयोग का कहना है कि ये सभी कदम विश्वास, पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास हैं।

चुनाव आयोग ने उठाया कदम, मतदाता सूचना पर्ची में होगा बदलाव, BLO को मिलेगी फोटो आईडी

◆ निहारिका टाइम्स
www.niharikatimes.com

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में चुनाव आयोग भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा. इससे मतदाता सूची को तेजी से और सटीक रूप से अपडेट किया जा सकेगा.

चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिल जाएगी और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को मृतक के परिजनों के औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना, क्षेत्र का दौरा करके जानकारी का दोबारा सत्यापन करने की अनुमति मिल जाएगी.

निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है.

आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक वोटर फ्रेंडली बनाने के लिए इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है. मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, तथा फॉन्ट का आकार भी बढ़ा दिया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को ढूंढना भी आसान होगा.

बीएलओ को जारी होंगे मानक फोटो पहचान पत्र

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक उन्हें पहचान सकें और विश्वास के साथ उनसे बातचीत कर सकें. आयोग ने बयान में कहा कि चुनाव संबंधी कर्तव्यों को पूरा करने में मतदाताओं और भारत निर्वाचन आयोग के बीच प्रथम इंटरफेस के रूप में यह जरूरी है कि घर-घर जाकर कार्य करते समय बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके.

मतदाता सूचना पर्ची में होगा बदलाव, बीएलओ को मिलेगी फोटो आईडी चुनाव आयोग

कानून व्यवस्था

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में चुनाव आयोग भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा. इससे मतदाता सूची को तेजी से और सटीक रूप से अपडेट किया जा सकेगा.चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिल जाएगी और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को मृतक के परिजनों के औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना, क्षेत्र का दौरा करके जानकारी का दोबारा सत्यापन करने की अनुमति मिल जाएगी. आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक उन्हें पहचान सकें और विश्वास के साथ उनसे बातचीत कर सकें।

निर्वाचन आयोग के तीन नवाचार

मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करना बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र देना मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना

ढोलामारू न्यूज

नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहलें शुरू की हैं। ये नवाचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (ष्टश्वह्लह्य) के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित विचारों के अनुरूप हैं, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

अब आयोग भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा, जो कि निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 3(5) (b) (2023 में संशोधित) के तहत किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) समय पर पंजीकृत मृत्यु की सूचना प्राप्त कर सकें। इससे फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना बीएलओ (Booth Level Officer) क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से जानकारी को पुनः सत्यापित कर सकेंगे, मतदाता सूचना पर्चियों (Voter Information Slips) को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उनके डिज़ाइन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को अधिक स्पष्टता और बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में नाम खोजना आसान होगा।